

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33002/98

REGD. NO. D. L.-33002/98

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54]
No. 54]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1999/चैत्र 10, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1999/CHAITRA 10, 1921

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 78
[N.C.T.D.No.78

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 1999

क. सं. एफ. 13(3)/99-एल. ए./106.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 31 मार्च, 1999 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1999

(दिल्ली अधिनियम संख्या 6, 1999)

दिनांक, 31 मार्च, 1999

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

अधिनियम

वर्ष 1999-2000 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 50वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक

6698,97,00,000/- रुपयों का वर्ष

1999-2000 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित विधि में से प्रदत्त रूप में प्रयुक्त

विनियोजन

- (1) इस अधिनियम को विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 1999 कहा जाए।
- (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए छः हजार छः सौ अठानवें करोड़ सत्तानवे लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कॉलम (2) में और प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 1999-2000 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।
- (3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशि इससे अधिक नहीं

मांग सं०	सेवाएं एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1.	विधान मण्डल	राजस्व 42400	2100	44500
2.	सामान्य प्रशासन	राजस्व 252306	20554	272860
3.	न्याय प्रशासन	राजस्व 627544	171700	799244
4.	वित्त	राजस्व 549533	0	549533
5.	गृह	राजस्व 633485	565	634050
		पूंजी 120000	0	120000
6.	शिक्षा	राजस्व 10929417	1200	10930617
		पूंजी 258000	0	258000
7.	चिकित्सा व जन. स्वास्थ्य	राजस्व 4123644	100	4123744
		पूंजी 0	0	0
8.	समाज कल्याण	राजस्व 1278375	0	1278375
		पूंजी 5082800	0	5082800
9.	उद्योग	राजस्व 506287	2000	508287
		पूंजी 188860	0	188860
10.	विकास	राजस्व 1716417	6010	1722427
		पूंजी 1267890	4900	1272790
11.	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व 10561738	0	10561738
		पूंजी 22141875	750000	22891875
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व 0	5303000	5303000
		पूंजी 0	47000	47000
12.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूंजी 100000	0	100000
13.	पेंशन	राजस्व 300000	0	300000
	जोड़	60680571	6309129	66989700

आर. टी. एल. डिसूजा, अवर सचिव (विधायी कार्य)

No. F. 13(3)/99-L.A./106.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 31st March, 1999 and is hereby published for general information.—

THE APPROPRIATION (NO. 2) ACT, 1999

(DELHI ACT NO. 6 OF 1999)

Delhi, the 31st March, 1999

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

to Authorise payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated fund of the National Capital Territory of Delhi for the Services in respect of the financial Year 1999-2000.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 50th year of the Republic of India as follows :

Short Title

Issue of Rs. 6698,97,00,000/ from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year, 1999-2000.

Appropriation

1. The Act may be called the Appropriation (No. 2) Act, 1999.
2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees six thousand six hundred ninety eight crores and ninety seven lakhs only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 1999-2000 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Demand No.	Services and Purposes		SUMS NOT EXCEEDING	
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund
1	2		3	4
				5
1	Legislature	Revenue	42400	2100
2	General Administration	Revenue	252306	20554
3	Administration of Justice	Revenue	627544	171700
4	Finance	Revenue	549533	0
5	Home	Revenue	633485	565
		Capital	120000	0
				120000

1	2	3	4	5
6.	Education	Revenue	10929417	1200
		Capital	258000	0
7.	Medical and Public Health	Revenue	4123644	100
8.	Social Welfare	Revenue	1278375	0
		Capital	5082800	0
9.	Industries	Revenue	506287	2000
		Capital	188860	0
10.	Development	Revenue	1716417	6010
		Capital	1267890	4900
11.	Urban Development and	Revenue	10561738	0
	Public Workss	Capital	22141875	750000
	Public Debt	Revenue	0	5303000
		Capital	0	47000
12.	Loans to Government Servants	Capital	100000	0
13.	Pensions	Revenue	300000	0
Total			60680571	6309129
				66989700